<u>**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**</u>

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 346/2025

श्री अंकित कुमार, निवासी गाम फतेहसरी, पो0 देवगांव, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333707, मो0न0 6378241993

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

<u>**आदेश**</u>

दिनांक 11.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.08.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 346/2025 पर दिनांक 27.08.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4016–17 दिनांक 27.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2025/339 दिनांक 09.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गइ सूचना तहसील कार्यालय नवलगढ से संबंधित होने के कारण तहसीलदार, नवलगढ को सूचना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2025/338 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा लिखा गया। तहसीलदार, नवलगढ द्वारा आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध मे उनके पत्रांक आरटीआई/2025/56 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा पत्रांक सू0अ0अ0/2025/339 दिनांक 09.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा चाही गइ सूचना तहसील कार्यालय नवलगढ से संबंधित होने के कारण तहसीलदार, नवलगढ को सूचना हेतु उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2025/338 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा लिखा गया। तहसीलदार, नवलगढ द्वारा आवेदनकर्ता को सूचना के संबंध मे उनके पत्रांक आरटीआई/2025/56 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नही है जिसके संबंध मे अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं